बिल का सारांश

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 को 29 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट, 1969 में संशोधन का प्रयास करता है।
- **घटना के एक वर्ष के बाद पंजीकरण**: इस एक्ट के तहत, अगर किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की जानकारी, उस घटना के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसे पंजीकृत करने के लिए एक आदेश की ज़रूरत होती है। यह आदेश निम्नलिखित अधिकारी जारी कर सकते हैं: (i) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, (ii) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, या (iii) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जानकारी की सच्चाई की जांच करने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद यह आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन बिल में यह प्रावधान है कि अगर दो वर्ष से ज़्यादा की देरी होती है, तो आदेश सिर्फ़ फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ही जारी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

नव्या श्रीराम
navya@prsindia.org

29 जुलाई, 2026